महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में 265.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़ । चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 5 जुलाई तक 265.1 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 12.6 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 268.0 मिली मीटर, पुसौर में 383.0, खरसिया में 265.5, सारंगढ़ में 345.7, बरमकेला में 196.2, घरघोड़ा में 257.7, तमनार में 269.6, लैलूंगा में 128.6 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 280.7 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिये 15 जुलाई तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

रायगढ़ । एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (ग्रामीण)अंतर्गत मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र बरझरिया में गत दिवस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति जांच उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक प्रकाशित कर परियोजना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। उक्त सूची के संबंध में किसी भी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो वे एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय रायगढ़ (ग्रामीण)में 6 से 15 जुलाई 2021 सायं 5.30 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

प्रधान डाकघर में सॉवरेन गोल्ड बांड का चरण 12 जुलाई से

रायगढ़ । भारतीय सरकार अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सॉवरेन गोल्ड बांड 2021-22 सीरीज ढ्ढङ्क से ङ्कढ्ढ दिनांक 12 जुलाई 2021 से 3 सितम्बर 2021 तक प्रत्येक माह तीन चरणों में जारी किया जाएगा। अगला चरण 12 जुलाई 2021 से प्रारंभ हो रहा है। भारतीय डाक विभाग रायगढ़ संभाग द्वारा रायगढ़ व अंबिकापुर प्रधान डाकघर में तथा जशपुर व मनेन्द्रगढ़ मुख्य डाकघर में सॉवरेन गोल्ड बांड जारी किया जा रहा है। सॉवरेन गोल्ड बांड 8 वर्ष के लिये होता है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष के पश्चात निकासी किया जा सकता है। इस पर सोने की बढ़ती कीमत के साथ-साथ 2.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय है। एक व्यक्ति कम से कम 01 ग्राम तथा अधिक से अधिक 4 किलो ग्राम का बांड क्रय कर सकता है। सॉवरेन गोल्ड बांड की अधिक जानकारी हेतु किसी भी डाकघर या संभागीय कार्यालय रायगढ़ 07762-232557/232594 से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त योजना में ग्राहक को सोने के मूल्य का बांड पेपर जारी किया जाता है जिसमें सोना चोरी होने का डर ही नहीं रहेगा तथा यह भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है अतः इसमें निवेश करना पूर्णतःसुरक्षित है।

मतदाता सूची तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण, सहायक रजिस्ट्रीकरण एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त

रायगढ़ । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भीम सिंह ने आम चुनाव/उप चुनाव 2021 हेतु छ.ग.नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नियम-3 (दो)के अंतर्गत जिले के नगर पालिका परिषद सारंगढ़/नगर पालिक निगम रायगढ़ के मतदाता सूची तैयार करने हेतु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहा.रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। नगर पालिका परिषद सारंगढ़ वार्ड क्रमांक 1 से 15 के लिये अनु.अधिकारी (रा.)सारंगढ़ को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार सारंगढ़ को सहा.रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अपर कलेक्टर को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है।

ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का आरोपी को बरमकेला पुलिस ने किया गिरफ्तार

» ग्राम लिजिंर के ग्रामीण को इंश्योरेंस के नाम पर किये थे लाखों की ठगी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के निर्देशन पर ऑनलाइन ठगी के आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये दिगर प्रांत रवाना हुई टीम के हाथ शातिर ठग गिरोह का सदस्य हाथ आया है। आरोपियों के गैंग द्वारा थाना बरमकेला अन्तर्गत ग्राम लिजिंर के ग्रामीण को इंश्योरेंस के नाम पर 23 लाख रूपये की धोखाधड़ी किये थे।

जानकारी के अनुसार थाना बरमकेला अन्तर्गत ग्राम लिजिंर निवासी विद्याधर पटेल ग्राम (उम्र 61 साल) दिनांक 16/04/2021 को थाना बरमकेला में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक

04/05/2017 को अज्ञात कॉलर आरबीआई मुंबई ब्रांच से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट आफिसर आर.के.शुक्ला नाम से कॉल कर बोला कि युनिक प्लस की बोनस राशि 1,02,730/- रूपये मिलना है जिसके लिए आवश्यक कागजात पासपोर्ट फोटो, पासबुक, पेनकार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति और कैन्सिल चैक 30,500/- रूपये का जमा करने के लिये बोला और वर्ष 2017 से लगातार उसके सहयोगियों के साथ आनलाईन ठगी करते हुए 23,51,916/- रूपये का धोखाधडी कर ठगी किया गया है। आवेदन पर आरोपी आर.के.शुक्ला एवं अन्य 09 खाताधारक जिनके खाते में पीडित से रूपये जमा कराये गया है पर अप.क्र. 131/2021 धारा 420,34 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा एवं एएसपी गरिमा द्विवेदी को आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी के लिये जल्द टीम दिगर प्रांत रवाना करने के निर्देश दिये। निर्देश पर थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेलशन कुजूर द्वारा आरोपियों के खाता नम्बर से उनका लोकेशन प्राप्त किया गया। विवेचना में मिले महत्वपूर्ण जानकारी पर विशेष टीम को दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आरोपियों के मिलने के संभावित ठिकानों में दबिश देने रवाना किया गया। जहां पुलिस टीम की छापेमारी में आरोपी कमलजीत डोगरा पिता प्यार सिंह डोगरा उम्र 36 वर्ष निवासी रोहिणी सेक्टर 15 दिल्ली को हिरासत में लिया गया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर कमलजीत सिंह द्वारा अपने साथी 1-धीरज कुमार गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश),2-मोहम्मद इलियास दिल्ली, 3- मो. असलम दिल्ली 4- नरेंद्र राजपूत गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) 5-मशरूर आलम बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) के साथ मिलकर विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी एवं कर्मचारी बताकर लोगों को अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर ठगी करना बताया और लोगों से रूपये कई बैंक खातों में जमा कराना कबूल किया है। आरोपी कमलजीत डोगरा यह भी बताया कि रायपुर जिले के थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 403/2020 धारा 420, 34 आईपीसी, 67 आईटी एक्ट के मामले में आरोपी 1- धीरज कुमार पिता भगवान दत्त उम्र 32 वर्ष निवासी निशांत एनक्लेव पावी पुस्ता चौकी लोनी जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 2- मोहम्मद इलियास पिता मुख्तार अहमद उम्र 28 वर्ष निवासी न्यू सीलमपुर दिल्ली 3- मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद उमर उम्र 27 वर्ष निवासी न्यू सीलमपुर उस्मानपुर थाना के सामने दिल्ली को वर्ष 2020 में गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में इनका साथी नरेंद्र सिंह राजपूत फरार था। आरोपी कमलजीत के मेमोरेंडम पर उसके पास से एक मोबाइल फोन जब्त कर उसके बैंक खाते को सीज कराया गया है। आरोपी के 05 साथी फरार हैं जिनके मिलने के संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेलशन कुजूर के नेतृत्व में आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी के लिए गठित टीम के सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह राजपूत थाना बरमकेला, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर पंडा थाना सारंगढ़, आरक्षक शैलेंद्र पैंकरा थाना बरमकेला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

रिपोर्ट के चंद घंटों बाद गुम नाबालिग बालिका को पुलिस ने खोज निकाला

» बालिका को सकुशल पाकर परिवारजन ने ली राहत की सांस, कोतवाली पुलिस का किये धन्यवाद

रायगढ़। दिनांक 05/07/2021 के दोपहर थाना कोतवाली में धांगरडिपा में रहने वाली महिला थाना आकर उसकी 13 वर्षीय बालिका आज सुबह घर से कहीं बिना बताए चले जाना बताई। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा नाबालिग की गुम रिपोर्ट की जानकारी एसपी अभिषेक मीणा तथा एएसपी अभिषेक वर्मा को दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मीणा द्वारा थाना प्रभारी को तत्काल शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मुख्य मार्गो में बालिका की पतासाजी का निर्देश दिया गया , जिस पर थाना प्रभारी थाना स्टाफ की 4 टीमें बनाकर अलग-अलग क्षेत्रों में रवाना किये साथ ही अन्य विवेचकों एवं आरक्षकों को बालिका का फोटो भेज कर अपने-अपने बीट में बालिका की पतासाजी का

निर्देश दिए। कुछ समय बाद ही बालिका ढिमरापुर चौक के पास रोड किनारे कोतवाली स्टाफ को अकेली मिली। बालिका का नाम, पता पूछकर स्टाक तस्दीक किये तो बालिका के गुम बालिका होने की जानकारी मिली, स्टाफ को बालिका रास्ता भटक जाना बताई जिससे और ज्यादा तस्दीक न कर कोतवाली स्टाफ बालिका को थाना लेकर आये। बालिका को उसके परिजनों के सुपुर्द बालिका को किया गया। अपनी बच्ची को सकुशल पाकर बालिका के परिजन काफी खुश हैं, वे थाना प्रभारी व स्टाफ को धन्यवाद दिया। थाना प्रभारी बालिका से डांट फटकार करने से मनाकर उसका ध्यान रखने कहा गया है। बालिका को शीघ्र चाइल्ड लाइन के समक्ष पेश किया जावेगा।

स्पीड पोस्ट से विसर्जन के लिये भेजी जा सकेंगी अस्थियां

» कोरोना काल में डाक विभाग ने शुरू की सेवायें

रायगढ़ । कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोग जो अपने परिजनों के मृत्यु होने पर अस्थि विसर्जन व श्राद्ध अनुष्ठान के लिए पवित्र स्थलों पर नहीं जा पा रहे है, इसके लिए भारतीय डाक विभाग द्वारा ओम दिव्य दर्शन संस्था के साथ मिलकर एक नई सेवा प्रारंभ की गयी है। जिसमें डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार, प्रयागराज, गया और वाराणसी भेजी जा सकेगी। जहां उनका विसर्जन और अनुष्ठान भी कराया जाएगा एवं उक्त श्राद्ध कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट

शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को किया जाएगा। ताकि श्राद्ध कार्यक्रम में परिजन ऑनलाइन शामिल होकर मृत आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना कर सके। इसके अलावा परिजनों को एक बोतल गंगाजल भी डाक द्वारा भेजा जाएगा।

इस सेवा का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम ओम दिव्य दर्शन संस्था की वेब साईट http://omdivyadarshan.org पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस दौरान भरे गए फार्मेट के अनुसार संबंधित स्थल के पंडित का नाम, पता, मोबाईल नंबर व श्राद्ध की तिथि मेसेज के माध्यम से आवेदक को मिल जाएगा। जिसके उपरांत उक्त निर्देशानुसार अस्थि को अच्छी तरह से सुरक्षित पैक करके एवं पैकिंग के ऊपर बोल्ड लेटर में "Om Divya Darshan" लिखकर हरिद्वार, प्रयागराज, गया या वाराणसी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। उक्त स्पीड पोस्ट में भेजने वाले का भी नाम, पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर देना अनिवार्य है। स्पीड पोस्ट का शुल्क अस्थि के वजन एवं गंतव्य स्थान के अनुसार प्रेषक को ही वहन करना होगा। चिन्हांकित स्थान पर डाक विभाग द्वारा अस्थि का त्वरित वितरण कराया जाएगा। इसके उपरांत बुक किये गए तारीख एवं समय के स्लॉट में संस्था के अधिकृत पंडित द्वारा कर्मकांड के साथ अस्थि विसर्जन एवं श्राद्ध कार्यक्रम का लाइव वेबकास्ट प्रसारित किया जाएगा।

डीईओ व डीएमसी ने किया जिले के विद्यालयों का सघन निरीक्षण

रायगढ़। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी.आदित्य व जिला मिशन समन्वयक रमेश देवांगन द्वारा आज जिले के विभिन्न शासकीय स्कूलों का सघन निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

उल्लेखनीय है कि विगत शैक्षणिक सत्रों के दौरान कोरोना काल के कठिन परिस्थितियों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव डॉ.आलोक शुक्ला के कुशल मार्गदर्शन में डिजिटल शिक्षा की नींव रखते हुए, एनआईसी द्वारा तैयार पढ़ई तुंहर दुआर के माध्यम से सभी सरकारी स्कूल के शिक्षक तथा विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ की गई थी। ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करते हुए रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षा में शामिल करने में अव्वल रहा। सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने, क्षमता विकास व उनकी समझ को विकसित करने के महती उद्देश्य के साथ ऑनलाइन व ऑफ लाइन कक्षाओं के संचालन में भी जिले ने इतिहास रचा। विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन द्वारा शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने व विद्यार्थियों से सतत् जुड़े रहने हेतु कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में जिले का यह अथक प्रयास व सफलता किसी उपलब्धि से कम नहीं था। वर्तमान सत्र में भी अपने इसी उद्देश्य को लिए विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य द्वारा शासकीय आत्मानन्द अंग्रेजी माध्यम स्कूल नटवर रायगढ़, शासकीय हाई, उच्चतर माध्यमिक, प्राथमिक शाला गोरखा, हाई, हायर सेकेंडरी स्कूल तथा बालक व कन्या प्राथमिक शाला किरोड़ीमल नगर रायगढ़ सहित जिला ग्रंथालय रायगढ़ का सघन निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल रायगढ़ के निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने यहां संचालित हो रही ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के नियमित संचालन व उचित व्यवस्था तथा निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित ठेकेदार को प्रयोगशाला सहित सभी कक्षा कमरों के शीघ्र निर्माण व उन्हें ठीक करने के निर्देश दिये। सभी प्राथमिक शालाओं में ईजीएल का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही सभी विद्यालयों के प्राचार्यों/संस्था प्रमुखों को ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाओं की व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया। ऑफ लाइन कक्षाएं पालकों की सहमति तथा बच्चों की उपस्थिति के आधार पर एकांतर क्रम में, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए एवं बच्चों की स्वास्थ्य व सुरक्षा का पूर्णतया ध्यान रखते हुए स्कूल परिसर का उपयोग करते हुए, बरामदा अथवा परिसर की खुली व स्वच्छ जगहों पर संचालित की जा सकती है। साथ ही यह ध्यान रखा जाए कि किसी भी स्थिति में विद्यालय की कक्षा कमरों में पढ़ाई संचालित न कराई जाये।

मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना अंतर्गत 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ द्वारा ऋण लेकर स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने वाले इच्छुक आवेदकों से 15 जुलाई 2021 तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन, नक्सल प्रभावित एवं सेवानिवृत्त सैनिको को आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की पात्रता होगी। आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों के साथ नियत तिथि तक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में दो प्रतियों में जमा करना होगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत अधिकतम स्वीकार्य लागत, निर्माण एवं उद्योग इकाईयों हेतु 25 लाख, सेवा इकाईयों हेतु 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु 2 लाख रुपए है। इसके लिए आवेदक को न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षो के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हुए है वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार

» सब्जी बनाने से इंकार करने की बात पर सोई हालत में आरोपी पति ने किया था हमला

रायगढ़। दिनांक 04/07/2021 को थाना कोतरारोड़ अन्तर्गत आजादचौक किरोडीमलनगर में किराये मकान पर रहने वाली श्रीमती वृन्दावती दास उर्फ जानकी 32 साल पर उसके पति मनोज कुमार प्रजापति द्वारा हत्या करने की नियत से गर्दन में चाकू मारकर घायल कर देने की रिपोर्ट पर कोतरारोड़ पुलिस आरोपी पर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

पीडिता बताई कि इसका मनोज कुमार प्रजापति के साथ प्रेम विवाह है। मनोज मांस लाकर घर में पकाने को कहता था, मांस पकाना और खाना पसंद नहीं है, इसलिए मांस बनाने के लिये मना करती थी। दिनांक 04/07/2021 के सुबह करीब 11/00 बजे मनोज प्रजापति मांस लेकर घर आया और बनाने के लिए बोला तब नही बनाउंगी, न बर्तन साफ करूंगी तुम खुद बनाकर बर्तन साफ करना बोली। तब मनोज खुद से सब्जी बनाकर टिफिन में रखा और घर से निकल गया। लगभग 12/00 बजे मनोज आया और टिफिन में सब्जी को लेकर घर से कहीं गया और करीबन दोपहर 01/30 - 02/00 बजे लगभग घर आया। उस समय बिस्तर पर सो रही थी

तब मनोज हत्या करने की नियत से सब्जी काटने की चाकू से गले में प्राणघातक वार किया तो हडबडाकर उठी। मनोज फिर चाकू से पेट में मारकर चोट पहुंचाया, तब भागकर जान बचाई। आहिता को केजीएच रायगढ़ में भर्ती कराया गया है। पडोसी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना कोतरारोड़ में दर्ज कराया गया है, आरोपी मनोज कुमार प्रजापति पिता शेषमणी प्रजापति उम्र 32 वर्ष अमिलिया चितवरिया सीधी मध्य प्रदेश हाल मुकाम किरोड़ीमलनगर रायगढ़ पर धारा 307 ताहि का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

दो साल से ज्यादा लंबित केसेस का प्राथमिकता से करें निराकरण-कलेक्टर

» एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय के आकस्मिक जांच में पहुंचे कलेक्टर सिंह

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह आज रायगढ़ एसडीएम और तहसीलदार न्यायालय के आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने न्यायालय के विभिन्न शाखाओं के कार्यों की जांच की और दो साल से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने अगले 01 माह में ऐसे सभी प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों के सही संधारण नहीं मिलने पर

उन्होंने 2 रीडर्स को शो-कॉज नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह आज दोपहर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने एसडीएम न्यायालय के विभिन्न प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने भू-अर्जन, डायवर्सन, 170 ख और 145 के पुराने प्रकरणों की जांच की। उन्होंने समय-सीमा से अधिक समय से लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। कई प्रकरणों के गैर निराकृत होने और समय पर आवश्यक कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने गहरी नाराजगी जताई तथा संबंधित रीडर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रकरणों की समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा को दिए।

कलेक्टर सिंह ने इसके पश्चात तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। इससे जुड़े रिकार्डो का भी उन्होंने अवलोकन किया। उन्होंने 02 साल से अधिक गैर निराकृत केसेस और उनके लंबित होने की जानकारी ली। रिकार्डो के सही संधारण नहीं होने पर उन्होंने नाराजगी जताते हुये सम्बंधित रीडर को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने लम्बे समय से पेंडिंग केसेस की अलग से जानकारी बनाकर उसका प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की राजस्व मामलों से जुड़े प्रकरणों में जो पटवारी, आरआई पटवारी समय पर प्रतिवेदन नही देते हैं उन पर कार्यवाही करें। इसके साथ ही उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत बाढ़ व बारिश के मुआवजा, जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभारी तहसीलदार विक्रांत राठौर को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरणों की समीक्षा करें और अगले एक माह के भीतर समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों का निपटारा सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सिंह ने इस दौरान लोक सेवा गारंटी केन्द्र का भी निरीक्षण किया। यहां जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा अन्य आवेदनों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने सभी आवेदनों के तहत आवेदकों को समय में उनके प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480